375

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-11102023-249305
CG-DL-W-11102023-249305

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 38] नई दिल्ली, अक्तूबर 1—अक्तूबर 7, 2023, शनिवार/आश्विन 9—आश्विन 15, 1945

No. 38] NEW DELHI, OCTOBER 1—OCTOBER 7, 2023, SATURDAY/ASVINA 9—ASVINA 15, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. 128.—केन्द्रीय सरकार, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राइफल्स (समूह 'ख' के योद्धक पद) भर्ती नियम, 2001 को जहां तक उनका संबंध सूबेदार (विद्युत और यांत्रिक) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, असम राइफल्स में सूबेदार मेजर (विद्युत और यांत्रिक), सूबेदार (विद्युत और यांत्रिक) और नायब सूबेदार (विद्युत और यांत्रिक) पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, असम राइफल्स, सूबेदार मेजर (विद्युत और यांत्रिक), सूबेदार (विद्युत और यांत्रिक) और नायब सूबेदार (विद्युत और यांत्रिक) समूह 'ख' योद्धक पद, भर्ती नियम 2023 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. लागू.– ये नियम, इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथा विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Joint Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Chairman; 2. Deputy Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy – Member; 3. Chief Medical Officer or Senior Medical Officer, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 23011/74/2018-Police Training]

RAMAN KUMAR, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. 131.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सहायक पर्यवेक्षक (लेखा) और सहायक पर्यवेक्षक (लेखा परीक्षा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, सहायक पर्यवेक्षक (लेखा) और सहायक पर्यवेक्षक (लेखा परीक्षा) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना-** ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स मे स्तर–** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स मे स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **आरंभिक गठन-** ऐसे पदधारी, जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख पर भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सहायक पर्यवेक्षक (लेखा) और सहायक पर्यवेक्षक (लेखा परीक्षा) का पद धारण किए हुए हैं, इन नियमों के अधीन अनुसूची में वर्णित तत्समान पद पर नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और उनके द्वारा उक्त नियमों के प्रारम्भ से पूर्व उक्त पद पर नियमित आधार पर की गई सेवा को प्रोन्नति, पेंशन इत्यादि की अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा।

5. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

6. **निरर्हता-** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह करने की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीयविधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

7. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

8. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में नियोजित व्यक्तियों को यथा लागू अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक पर्यवेक्षक (लेखा)	(1324)* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर -7, (44900-142400 रु.)	चयन पद।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा मे लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रु.) में ऐसे ज्येष्ठ लेखाकार जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो तथा विभाग द्वारा यथाविहित क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी

परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों के ऐसे अधिकारी

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग मे नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो, तथा

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हो:

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविधालय या संस्थान से बैचलर डिग्री; और

(ii) किसी सरकारी संगठन में लेखा या लेखा परीक्षा में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति, (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. प्रधान महालेखाकार या महालेखाकार - अध्यक्ष; 2. ज्येष्ठ उप महालेखाकार या उप महालेखाकार या समतुल्य – सदस्य; और 3. निदेशक या उप निदेशक या समतुल्य - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं हैं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक पर्यवेक्षक (लेखापरीक्षा)	(1924)* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर -7, (44900-142400 रू.)।	चयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रु.) में ऐसे ज्येष्ठ लेखा-परीक्षक जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो तथा विभाग द्वारा यथाविहित क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण :** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो, तथा (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हो: (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविधालय या संस्थान से बैचलर डिग्री; और (iv) किसी सरकारी संगठन में लेखा या लेखा परीक्षा में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण-1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण-2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण-3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति, (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. प्रधान महालेखाकार या महालेखाकार - अध्यक्ष; 2. ज्येष्ठ उप-महालेखाकार या उप-महालेखाकार या समतुल्य – सदस्य; और 3. निदेशक या उप निदेशक या समतुल्य - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं हैं।

[फा. सं. ए-12018/04/2020-ई जी]

राम गोपाल, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 27th September, 2023

G.S.R. 131.—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Supervisor (Accounts) and Assistant Supervisor (Audit) in Indian Audit and Accounts Department, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department, Assistant Supervisor (Accounts) and Assistant Supervisor (Audit), Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**- These rules shall be applicable to the post specified in column (1) of Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification and level in the pay matrix.** - The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Initial Constitution.**- The incumbents holding the posts of Assistant Supervisor (Accounts) and Assistant Supervisor (Audit) in the Indian Audit and Accounts Department on the date of the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under these rules to the corresponding post mentioned in the Schedule and the service rendered by them in the said post on regular basis before the commencement of the said rules shall be taken into account for the purpose of qualifying service for promotion, pension, etc.

5. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

6. **Disqualifications.**- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts Provided that the Comptroller and Auditor General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the law, for the time being in force, applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.**- Where the Comptroller and Auditor General of India is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard as applicable to persons employed in the Indian Audit and Accounts Department.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether Selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Supervisor (Accounts).	1324* (2023) *subject to variation dependent on work load.	General Central Services, Group 'B', Non -Gazetted, Non Ministerial.	Level- 7 (Rs. 44900-142400).	Selection Post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades, from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Promotion: Senior Accountant in level 6 (Rs. 35400-112400) of the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed training of two to four weeks in the field as prescribed by the department. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation :** Officers from the Central or State Government or Union territories : (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department , or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level 6 (Rs. 35400-112400) of the pay matrix or equivalent; and (b) possessing the following educational qualification and experience: (i) bachelor degree from a recognised University or Institute; and (ii) two years experience in Accounts or Audit in a govt organisation. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Principal Accountant General or Accountant General – Chairperson; (2) Senior Deputy Accountant General or Deputy Accountant General or equivalent – Member; and (3) Director or Deputy Director or equivalent - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Supervisor (Audit).	1924* (2023) *subject to variation dependent on work load.	General Central Services, Group 'B', Non -Gazetted, Non Ministerial.	Level- 7 (Rs. 44900-142400).	Selection Post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades, from which promotion or deputation/ absorption to be made.

(11)

Promotion:

Senior Auditor in level 6 (Rs. 35400-112400) of the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed training of two to four weeks in the field as prescribed by the department.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation : Officers from the Central or State Government or Union territories:

(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department, or

(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level 6 (Rs. 35400-112400) of the pay matrix or equivalent; and

(b) possessing the following educational qualification and experience:

(i) bachelor degree from a recognised University or Institute; and

(ii) two years experience in Accounts or Audit in a govt organisation.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The Maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Principal Accountant General or Accountant General – Chairperson; (2) Senior Deputy Accountant General or Deputy Accountant General or equivalent – Member; and (3) Director or Deputy Director or equivalent - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12018/04/2020-EG]

RAM GOPAL, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. 132.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (ज्येष्ठ लेखाकार) भर्ती नियम, 1988 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के क्षेत्र कार्यालयों में ज्येष्ठ लेखाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (ज्येष्ठ लेखाकार) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएँ-** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह करने की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में नियोजित व्यक्तियों को यथा लागू अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।